

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क्र- ०५ अ/19(3) वर्ष 2019-20

मौजा- जवारा प.ह.नं. 25

तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

परियोजना प्रशासक,
बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

विरुद्ध

..... आवेदक

म.प्र.शासन

..... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक २९/५/२०१९)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर का पत्र क्रमांक-163/कार्य/2018-19 सागर दिनांक 06.02.19 के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 से बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले 1190.56 हे. राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि में से बीना परियोजना में वर्तमान में 618.49 हे. भूमि उपयोग में ली जाना एवं शेष रकवा 572.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित की गई। प्राप्त पत्र के पालन में इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक-1197/री.कले./19 सागर दिनांक 08.02.19 के माध्यम से तहसीलदार बण्डा एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार बण्डा का प्रकरण क्रमांक-0072 बी/121 वर्ष 19-20 मौजा जवारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा के माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुआ। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग के द्वारा मौका स्थल पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौका स्थल निरीक्षण में लेख है कि तहसील बण्डा राजस्व निरीक्षक मंडल बहरोल के ग्राम जवारा में स्थित भूमि ख.नं. 40, 35/2 रकवा क्रमशः 24.40, 47.93 हे. भूमि जो कि बीना परियोजना के डूब क्षेत्र उपरांत बदले में वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु प्रदाय की गई थी, जिस पर वर्तमान में वन विभाग का अधिपत्य है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बण्डा परियोजना के नाम से कम्प्यूटर अभिलेख में नाम परिवर्तन करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मौके पर राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वन विभाग के पत्र क्रमांक/मां.चि./18/480 सागर दिनांक 08.02.19 जो कि वन मंडल अधिकारी सागर द्वारा सहमति प्रेषित की गई है। तहसीलदार बण्डा के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा द्वारा अपनी अनुशंसा की गई।

अतः तहसीलदार बण्डा/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बण्डा के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा जवारा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. बहरोल तहसील बण्डा जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :-

स.क्र.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.मे)	हस्तांतरित रकवा (हे.मे)	मद
01	जवारा	25	40 35/2	24.40 47.93	24.40 47.93	वन विभाग म.प्र.शासन
योग-					72.33	

P.T.O.

//2//

वन विभाग को पूर्व में इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 के द्वारा हस्तांतरित हो चुकी है तथा अधिपत्य भी वन विभाग का है। अतः खसरा के कॉलम नंबर 12 में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि के बदले अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कलेक्टर
जिला-सागर

पृ0क0/4120/री0कले0/2019

सागर दिनांक 29/05/2019

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरुस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
2. परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार बण्डा जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर
जिला-सागर

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क- ७५ अ/19(3) वर्ष 2019-20

मौजा- मोकलमऊ प.ह.नं. 67

तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

परियोजना प्रशासक,
बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

..... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक २९ / ५ / 2019)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर का पत्र क्रमांक-163/कार्य/2018-19 सागर दि. 06.02.19 के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दि. 12.02.14 से बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले 1190.56 हे. राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि में से बीना परियोजना में वर्तमान में 618.49 हे. भूमि उपयोग में ली जाना एवं शेष रकवा 572.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित की गई। प्राप्त पत्र के पालन में इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक-1197/री.कले./19 सागर दिनांक 08.02.19 के माध्यम से तहसीलदार बण्डा एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार बण्डा का प्रकरण क्रमांक-0050 बी/121 वर्ष 19-20 मौजा मोकलमऊ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा के माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुआ। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग के द्वारा मौका स्थल पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौका स्थल निरीक्षण में लेख है कि तहसील बण्डा राजस्व निरीक्षक मंडल बण्डा के ग्राम मोकलमऊ में स्थित भूमि ख.नं. 22, 23 रकवा क्रमशः 24.62, 41.78 हे. भूमि जो कि बीना परियोजना के डूब क्षेत्र उपरांत बदले में वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु प्रदाय की गई थी, जिस पर वर्तमान में वन विभाग का अधिपत्य है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बण्डा परियोजना के नाम से कम्प्यूटर अभिलेख में नाम परिवर्तन करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मौके पर राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वन विभाग के पत्र क्रमांक/मा.चि./18/480 सागर दिनांक 08.02.19 जो कि वन मंडल अधिकारी सागर द्वारा सहमति प्रेषित की गई है। तहसीलदार बण्डा के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा द्वारा अपनी अनुशंसा की गई।

अतः तहसीलदार बण्डा/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बण्डा के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा मोकलमऊ प.ह.नं. 67 रा.नि.मं. बण्डा तहसील बण्डा जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :-

स.क्र.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	हस्तांतरित रकवा (हे.में)	मद
01	मोकलमऊ	67	22 23	24.62 41.78	24.62 41.78	वन विभाग म.प्र.शासन
योग-				66.40	66.40	

P.T.O.

कलेक्टर

सागर

//2//

वन विभाग को पूर्व में इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 के द्वारा हस्तांतरित हो चुकी है तथा अधिपत्य भी वन विभाग का है। अतः खसरा के कॉलम नंबर 12 में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि के बदले अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कलेक्टर

जिला-सागर

पृ0क0/4119/री0कले0/2019

सागर दिनांक 29/05/2019

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरुस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
2. परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार बण्डा जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला-सागर

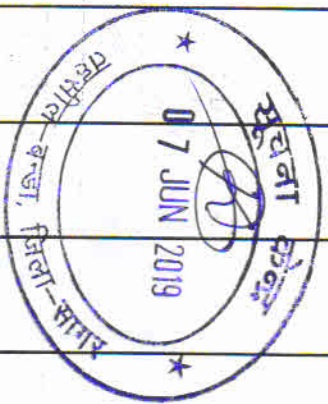




मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फॉर्म 01-II
खसरा

सी. एल. आर. नं. 1110030200025115000043

ग्राम/जवाब		इन्का : 00025 गन्वासी		य.नि.नं. : नहरोल		तहसील : बन्डा		जिला : सागर		वर्ष : 2018-2019	
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में खसिरा न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई है और देश राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौलवी कोशकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भुग का क्षेत्रफल	खाली की भूमि							
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई	पट्टी का क्षेत्रफल	बाद के क्षेत्रों में बाई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	वर्ष 2012-13 में पारित आ. दि. 23-11-12 के अनुसार इस ख. नं. 40 रकबा 24.40 है, में से पूरा रकबा 24.40 है, भूमि ि बीना संप्रुक्त सिंचाई एवम् बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वन विभाग की ंद्वारा क्षेत्र में आने वाली भूमि के बदले वैकालिक वृद्धा सेपण हेतु वन विभाग को दिये जाने हेतु आरक्षित की गई। न्यायालय कोलेक्टर महोदय के रा0 प्र0 कू 0 04 अ 19-3 वर्ष 2019-20 आदेश दि 0 29/05/2019 के अनुसार बीना संप्रुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्था न पर बंदा सिंचाई परियोजना को हस्ता0 दि. 07/06/2019 को तहसीलदार द्वारा भू में दर्ज भूमि प्रकार निजी से शासकीय में संशोधन किया गया।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	24.400 0 वन शासकीय 24.400	(शासकीय) वन विभाग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय									

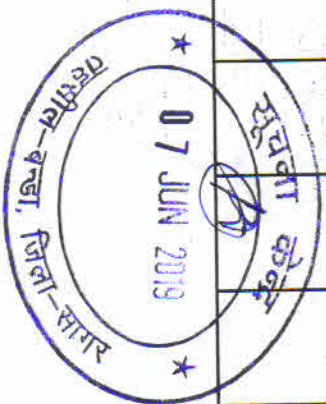




मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अधिकार
फॉर्म वी - II
खसरा

सी. एल. आर. नं. : 1110030200025115000044

ग्राम/तहसील		हल्का : 00025 मन्गरी		य. नि. म. नंबर/लेट		तहसील नम्बर		जिला : सागर		वर्ष : 2018-2019	
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देश राज्य का दर्ज़ान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मालिकी कार्रकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, दर्ज़ान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खतों की भूमि						खतों के बाहर के क्षेत्रों में बाँटे गये फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल लगाई गई		पट्टी का क्षेत्रफल					
				क्षेत्रफल का नाम	क्षेत्रफल	इकतसवी क्षेत्रफल	बारह वर्ष की पट्टी	2 से 5 वर्ष तक की पट्टी	अन्य पट्टी अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35/2	47.930 0वन शासकीय 47.930 0	(शासकीय) वन विभाग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय								47.930 0	न्यायालय कलेक्टर सागर के पत्र क्र 988-रीडर-14 दि. 12-2-14 के अनुसार वन विभाग को हस्तान्तरित। न्यायालय कलेक्टर मन्गरी के रा0 प्र0 क्र 0 04 अ 19-3 वर्ष 2019-20 आदेश दि 0 29/05/2019 के अनुसार बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्था न पर बड़ा सिंचाई परियोजना को हस्ता0 दि. 07/06/2019 को तहसीलदार द्वारा भू र्व में दर्ज भूमि प्रकार निजी से शासकीय में संशोधन किया गया।





पद्म प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फॉर्म 01-11
खसरा

सी. एल. अर. नं. 1110030100067273000292

ग्राम,मोकलमऊ		हक्का :00067मोकलमऊ		य.नि.म. : बन्डा		तहसील :बन्डा		जिला :सागर		वर्ष: 2018-2019		
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सांस्कृतिक न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अनुसार भूमि धारण की गई हो और क्या राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौजदारी का अधिकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उपपट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाले की भूमि						खाले के बाहर के क्षेत्रों में बांटे गये प्लॉट का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत	
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल लगाई गई		पट्टेरी का क्षेत्रफल						अन्य पट्टेरी अर्थात् 5 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	24.620 0	(शासकीय) वन विभाग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय								24.620 0	न्यायालय कलेक्टर सागर के पत्र क्र 988-सीडर -14 दि. 12-2-14 के अनुसार वन विभाग को हस्तांतरित। श्रीमानकलेक्टर म हो. सागर के रा. प्र. क्र. 26/अ/19(3) वर्ष 2012-13 में पारित आ. दि. 6-2-13 के अनुसार इस ख.नं.22 रकवा 24.62 है. में से पूरा रकवा 24.62 है. भूमि बीना संंयुक्त सिंचाई एवम् बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वनविभाग की ेड्ड क्षेत्र में आने वाली भूमि के बदले वैकल्पिक दूधारापण हेतु वन विभाग को दिये जाने हेतु आरक्षित की गई। न्यायालय कलेक्टर सागर के पत्र क्र 988-सीडर -14 दि. 12-2-14 के अनुसार वन विभाग को हस्तांतरित। न्यायालय कलेक्टर महोदय के यो प्रो क्र 0 05 अ 19 3 वर्ष 2019-20 आदेश दि0 29/05/2019 के अनुसार बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बंडा सिंचाई परियोजना को हस्तांतरित दि. 07/06/2019 को तहसीलदार द्वारा पूर्व में दर्ज भूमि प्रकार निजी से शासकीय में संशोधन किया गया।	

